[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनासंख्या 30/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च, 2021

26 फाल्गुन, 1942 (शक)

का.आ. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (ख) और (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथाः-

उक्त अधिसूचना मेः-

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, 12वें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा यथाः-

'बशर्ते और भी की न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को बैगेज के क्लियरेन्स के उद्देश्य से लैंड कस्टमस स्टेशन नियुक्त किया गया हो';

(ii) सारणी में बंग्लादेश से संबंधित क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (62) और उससे संबंधित कॉलम (4) के प्रविष्ट के पश्चात्, कॉलम (3) और (4) में क्रमश- निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा यथाः

(1)	(2)	(3)	(4)
		"(63) न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में	भारत के जलपाईगुड़ी और बंग्लादेश के ढाका को जोड़ने वाली हल्दीवाड़ी-चिल्हटी रेल के माध्यम से रेल मार्ग"।

(फाइल संख्या 550/03/2021-एलसी)

(बुलो मामु)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर. 1994 को का. आ. (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 27/2021-सीमाशुल्क (गै.टे) दिनांक 5 मार्च, 2021, जिसे का. आ. 2052(अ) दिनांक 5 मार्च 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥ खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।